न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 115/2019

1. सिलोचना पुत्री रेखाराम पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह
2. गुडी पुत्री रेखाराम पत्नी सुरेश जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह

वादी

बनाम

1. संतोष पुत्री रेखाराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह
2. साधुराम पुत्र दादूराम जाति मेघवाल निवासी डाबड़ी धीरसिंह

प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 10.11.2021

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम डाबड़ी धीरसिंह की सरहद में स्थित हाल भूमि ख0न0 449 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 1.06 है, खसरा नम्बर 537 रकबा 1.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.24 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसमें वादियागण के पिता रेखाराम की काश्तकारी खातेदारी में 1/2 हिस्सा भूमि रही है। वादियागण के पिता रेखाराम के स्वर्गवास होने के उपरांत उक्त भूमि वादियागण के भाई गजराम व मनीराम के हिस्से में आई। गजराम व मनीराम के लाऔलाद फौत होने पर वादियागण के पिता के हिस्से की 1/2 भूमि वादियागण तथा प्रतिवादीया संख्या 1 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 487 प्राप्त हुई यानि प्रत्येक के हिस्से में 1/6–1/6 भूमि आई। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने भूल व गलती से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय वादियागण का नाम एक साथ सिलागुड़ी तथा प्रतिवादिया संख्या 1 संतोष का नाम दर्ज कर दिया जबकि वादियागण का सही नाम सिलोचना व गुड़ी देवी अलग–अलग नाम है। इसी के आधार पर प्रतिवादीया संख्या 1 को 1/4 का तथा वादियागण दोनो को मिलाकर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया। जबकि वादियागण अलग–अलग व्यक्ति है। और उनका उपरोक्त 1/2 हिस्से की भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। अतः उक्तानुसार वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादि संख्या 1 का नाम सिलो की जगह सिलोचना व वादीया संख्या 2 का नाम गुडी की जगह गुडी देवी दर्ज कर प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 3 को जरिये नोटिस सूचित किया गया। वादिया संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र के अनुसार वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र में चाही गई सिद्दि अनुसार धोषणा की जाकर प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने में किसी प्रकार की कोई अपात्ति नहीं होना स्वीकार किया है। अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वाद पत्रानुसार वाद स्वीकार करने में अपनी सहमती प्रस्तुत की है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान राज्य की ओर से जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया कि ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के वर्तमान जमाबंदी के खाता सख्या 364 में संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, सिलोगुड़ी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, साधुराम पुत्र दुदाराम राहिन हिस्सा 1/2 आई.सीआईसीआई बैंक लि0 पिलानी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम डाबड़ी धीरसिंह की जमाबंदी सम्वत 2043-46 के खाता सख्या 38 में नामान्तरकरण संख्या 487 के द्वारा खातेदार रेखाराम के फौत होने पर संतोष, सिलो, गुड़ी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ था। ग्राम में पूछताछ के दौरान रेखाराम के तीन पुत्रीयां संतोष, सिलोचना व गुड़ी होना बताया। सेग्रीगेशन की जमांबदी बनाते समय सहवन से सिलो व गुड़ी को एक ही खातेदार मानकर हिस्सा दर्ज हो गया जो दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुये तहसीलदार मलसीसर ने ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के खाता संख्या 364 में संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, सिलोगुड़ी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, साधुराम पुत्र दुदाराम राहिन हिस्सा 1/2 आई.सीआईसीआई बैंक लि0 पिलानी के स्थान पर संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6, सिलोचना पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6, गुड़ी देवी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6 व साधुराम पुत्र दुदाराम राहिन हिस्सा 1/2 आई. सीआईसीआई बैंक लि0 पिलानी का नाम किये जाने की अभिशंषा की है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया दस्तावेजो एवं तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रेखाराम के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 487 के द्वारा संतोष, सिलो, गुड़ी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ था। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में भी यह माना है कि सेग्रीगेशन की जमांबदी बनाते समय सहवन से सिलो व गुड़ी को एक ही खातेदार मानकर हिस्सा दर्ज हो गया जो दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। इससे यह स्पष्ट है कि सिलो व गुड़ी दो अलग-अलग खातेदार है। वादिया संख्या 1 ने वाद पत्र में सिलो के स्थान पर सिलोचना तथा गुड़ी के स्थान पर गुडी देवी नाम दुरस्त कर ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के खाता संख्या 364 में संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, सिलोगुड़ी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4 के स्थान पर संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6, सिलोचना पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6, गुड़ी देवी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6 व साधुराम पुत्र दुदाराम राहिन हिस्सा 1/2 आई.सीआईसीआई बैंक लि0 पिलानी दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी उक्तानुसार शुद्दि कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किये जाने में अपनी सहमती प्रदान की है।

निर्णय

अतः ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के खाता संख्या 364 में दर्ज सिलोगुड़ी को नाम शुद्व कर सिलोगुड़ी के स्थान पर सिलोचना पुत्री रेखाराम व गुडी देवी पुत्री रेखाराम संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही उक्त खाता संख्या में दर्ज संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, सिलोगुड़ी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/4, साधुराम पुत्र दुदाराम राहिन हिस्सा 1/2 आई.सीआईसीआई बैंक लि0 पिलानी के स्थान पर संतोष पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6, सिलोचना पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6, गुड़ी देवी पुत्री रेखाराम हिस्सा 1/6 व साधुराम पुत्र दुदाराम राहिन हिस्सा 1/2 आई.सीआईसीआई बैंक लि0 पिलानी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। फैसला मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट) 14/1/21

प्रभारी अधिकारी, मलसीसर

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021